ऑन लाईन नं. GCMS 2025/116

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 35/2025

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचंद्र(विक्रेता व मालिक), मै. हनुमान किरयाणा भंडार, श्रीगंगानगर, 1ए7 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर।
2. श्री राजकुमार पुत्र श्री लाधुराम (प्रोपराईटर), 03–आई–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, मै. राज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप न. 107 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58

निर्णय दिनांक: 20.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक– प.5 (01) चिरवा/ग्रुप 3/ई–5095/2024/दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का नमूना दिवस को पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुकत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/10077 दिनांक 26.12.2023 के अनुसार जिला श्री गंगानगर व वर्तमान में पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था. /2024/1211 दिनांक 08.07.2024 किया गया है एवं संसोधित आदेश क्रंमाक आयुक्ता०/ खासुऔनि /संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2024 को समय 03.00 पीएम बजे **मैसर्स – हनुमान किरयाणा भंडार, 1 ए 7 जवाहरनगर, हनुमानगढ़ रोड, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे। मौके पर **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचंद्र (विक्रेता व मालिक)** को अपना परिचय दे कर संस्थान पर रखे खाद्य पदार्थ **घी(सीफाम)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को मालिक बताया व संस्थान में रखे 200–200 एमएल के लगभग 40 नग जार पैक खाद्य पदार्थ **घी(सीफाम)** को आमजन मे बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विकेता से **घी(सीफाम)** नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की मोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहन ने व आवेदक ने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया और आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध 200–200 एमएल के लगभग 40 नग जार पैक **घी(सीफाम)** में से 200ML*4=800ml विक्रेता से खरीद कर लिया गया। मालिक को मौके पर ही उक्त कयशुदा घी(सीफाम) का नगद भुगतान 360 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों को तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचन्द्र (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचन्द्र (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी(सीफाम)** 04 मूल जार पैक(200ml*4=800ml) खाद्य पदार्थ **घी(सीफाम)** पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2458** दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2458** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचन्द्र (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/1122/Act/2024/1122 Dated 24.09.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2458 Sub-Standard Food & Contravenes(due to foreign fat.)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु सूचित किया, खाद्योकारोबारकर्ता ने पुनः जांच करने का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचंद्र(विक्रेता व मालिक), मै. हनुमान किरयाणा भंडार, श्रीगंगानगर, 1ए7 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर और श्री राजकुमार पुत्र श्री लाधुराम (प्रोपराईटर), 03–आई–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, मै. राज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप न. 107 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का घी(सीफाम) विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 26.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी मकान नं. 3 आई. 10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मै. राज ट्रेडिंग कंपनी दुकान नं. 107, पुरानी धाम मंडी, श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 25/779 दिनांक 28.05.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में घी(सीफाम) की जांच की गई तो घी(सीफाम) **Sub-Standard Food & Contravenes(due to foreign fat.)** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त घी(सीफाम) में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे उक्त प्रकरण सं. 35/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया घी(सीफाम) का सैम्पल **K-2458** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S.-/1122/Act/2024/1122 Dated 24.09.2024 अनुसार **Sub-Standard Food & Contravenes(due to foreign fat.)** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Ghee" bearing Code No and Sr. No **K-2458,** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar **is Sub-Standard Food** as **it is not derived exclusively from Milk or products obtained from Milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Ghee).** The sample is also **contravenes Regulation No. 2.3.7(2)** of

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additive) Regulation, 2011 **due to presence of foreign fat.** की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचंद्र(विक्रेता व मालिक), मै. हनुमान किरयाणा भंडार, श्रीगंगानगर, 1ए7 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर और श्री राजकुमार पुत्र श्री लाधुराम (प्रोपराईटर), 03–आई–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, मै. राज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप न. 107 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 के अन्तर्गत अभियुक्तगण **श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचंद्र(विक्रेता व मालिक), मै. हनुमान किरयाणा भंडार, श्रीगंगानगर, 1ए7 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 30,000–00 (अखरे रूपये तीस हजार मात्र)** और **श्री राजकुमार पुत्र श्री लाधुराम (प्रोपराईटर), 03–आई–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, मै. राज ट्रेडिंग कंपनी, शॉप न. 107 पुरानी धान मंडी, श्रीगंगानगर** को **राशि रूपये 70,000–00 (अखरे रूपये सत्तर हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि संस्थान पर नमूना संग्रहण के दौरान पाए गए 200–200 एमएल के लगभग 40 नग जार पैक अमानक खाद्य पदार्थ घी(सीफाम) का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार निस्तारण कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना सुनिश्चित करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।